

युद्ध खत्म करने का फैसला नेतन्याहू के साथ लूंगा

ईरान के नेतृत्व की अलोकप्रियता को देखते हुए उन्हें इस समर्थन पर आश्चर्य नहीं

वॉशिंगटन/ तेल अवीव, 09 मार्च. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने का कोई भी निर्णय वह और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर करेंगे।

इजरायल ने श्री ट्रंप के हवाले से कहा कि यदि वह और नेतन्याहू साथ न होते तो इरान इजरायल को नष्ट कर देता। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने मिलकर ऐसे देश को कमजोर किया है जो इजरायल को खत्म करना चाहता था। श्री ट्रंप ने युद्ध के समर्थन को लेकर इजरायल में 'दिख रहे माहौल का उल्लेख करते हुए कहा कि ईरान के नेतृत्व की अलोकप्रियता को देखते हुए उन्हें इस समर्थन पर आश्चर्य नहीं है।


उन्होंने श्री नेतन्याहू की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि 'बीबी' (नेतन्याहू का उपनाम) न होते तो आज इजरायल का अस्तित्व नहीं होता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त करने के



हर बात ध्यान में रखकर सही समय पर लेंगे फैसला: ट्रंप
वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष को कब समाप्त करना है इसका निर्णय इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर लिया जाएगा। इजरायल के साथ एक टेलीफोन साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वर्तमान सैन्य कार्रवाई से पहले इरान इजरायल को नष्ट करने के करीब था। उन्होंने कहा, इरान इजरायल और उसके आसपास की हर चीज को तबाह करने जा रहा था। हमने मिलकर काम किया है। हमने उस देश को नष्ट कर दिया है जो इजरायल को मिटाना चाहता था। यह पूछे जाने पर कि क्या अभियान को रोकने का अधिकार पूरी तरह से अमेरिका के पास है या इस निर्णय में इजरायल का भी समान प्रभाव है, श्री ट्रंप ने संकेत दिया कि दोनों नेता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक आपसी है। इस बात पर रहे हैं। मैं सही समय पर फैसला लूंगा, लेकिन हर बात को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अंतिम फैसला उनका होगा, लेकिन नेतन्याहू के विचारों पर भी विचार किया जाएगा।

अमेरिकी नागरिक सऊदी अरब छोड़ें: अमेरिका

रियाद. सऊदी अरब स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूतावास के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्रालय हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय मार्गदर्शन दे रहे हैं कि इस इलाके में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को उनकी सुरक्षा के संबंध में लिये गये निर्णयों की जानकारी मिल सके। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, अमेरिकी सरकार आपकी सुरक्षा की परवाह करती है और आपकी सुरक्षा के बारे में सोच-समझकर फैसले लेने के लिए समय-समय पर जरूरी जानकारी साझा करती रहेगी। अगर आप मौजूद विकल्प का फायदा उठाना चाहते हैं तो सरकार पश्चिम एशिया छोड़ने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है।



पुतिन ने मोजतबा को ईरान का सर्वोच्च नेता चुने जाने पर दी बधाई

मॉस्को. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को मोजतबा हुसेनी खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। क्रमिलिन के अनुसार श्री पुतिन ने ईरान और वहां के लोगों के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें कामयाबी की दुआ दी। श्री पुतिन ने एक बयान में कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद मोजतबा हुसेनी खामेनेई... कृपया सर्वोच्च नेता के रूप में चुनाव पर आप मेरी दिली मुबारकबाद स्वीकार करें। बयान श्री मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किये जाने के बाद आया है। गत 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष के दौरान अमेरिका-इजरायल हमले में उनके पिता अली खामेनेई की मौत हो गयी थी।

धामी ने पेश किया एक लाख 11 हजार करोड़ रुपए का बजट



भराडौंसण (गोरसण), 09 मार्च. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को यहां स्थित विधानसभा (विस) भवन में सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया।

श्री धामी के पास वित्त मंत्री का भी प्रभार है। आज विधानसभा में पूर्ववर्तन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद शुरू हुए बजट सत्र में भोजन अवकाश के बाद वित्त मंत्री की हैसियत से श्री धामी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया।

इस बजट में वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही, 2536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष दिखाया गया है। राजकोषीय अनुशासन के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा गया है। इसी प्रकार लोक त्रया भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर बनाए रखा गया है।

इस बजट में वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही, 2536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष दिखाया गया है। राजकोषीय अनुशासन के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा गया है। इसी प्रकार लोक त्रया भी जीएसडीपी के 32.50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर बनाए रखा गया है।

श्री धामी के पास वित्त मंत्री का भी प्रभार है। आज विधानसभा में पूर्ववर्तन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद शुरू हुए बजट सत्र में भोजन अवकाश के बाद वित्त मंत्री की हैसियत से श्री धामी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया।

फार्म संख्या IV (नियम 5 का उप-नियम (2A) देखें)
समन-ऋण वसूली न्यायधिकरण के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत **ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र. के समक्ष द्वितीय एवं तृतीय तल, संचार विकास भवन, (बी.एस.एन.एल. बिल्डिंग) मुख्य डाकघर के पास, रसीडेन्सी रोड, जबलपुर - 402001** मध्यप्रदेश 0A/757/2025 ...आवेदक

इंडियन बैंक
बनाम ...प्रतिवादी

(1) श्री भरत सिंह गौड़ पुत्र श्री बलाम सिंह निवासी मकान नं. 102/2, आशियाना पैलेस कॉलोनी, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देवालयपुर, जिला इन्दौर 453001
यहां भी - वार्ड नं. 13, 178/1, भोजपुरी कॉलोनी, काली बिल्लोद, बेटवा, इन्दौर म.प्र. 453001
इसके अलावा - ग्राम कुसमी, डाकघर जिरिया, तहसील देवरी, जिला सागर म.प्र. 470226

(2) श्रीमती हल्की रानी पत्नी श्री भरत सिंह गौड़ निवासी मकान नं. 102/2, आशियाना पैलेस कॉलोनी, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देवालयपुर, जिला इन्दौर 453001
यहां भी - वार्ड नं. 13, 178/1, भोजपुरी कॉलोनी, काली बिल्लोद, बेटवा, इन्दौर म.प्र. 453001

समन
शुंकि, मूल आवेदन संख्या 757/2025 माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 14.01.2026 को सुचीबद्ध किया गया था।
शुंकि, माननीय डिप्युटी एक्ट के सेवशन 19(4) के तहत इस एंक्लीशन पर समन/नोटिस जारी करता है। आपके खिलाफ रु. 35,97,334.00/- (तीस लाख, सत्तानवे हजार तीन सौ बीसतीस पचास) के कर्ज की रिकवरी के लिए ओए फाइल किया गया है, साथ ही कोई-टैरिफ के रेट से ब्याज, पेनल्टी ब्याज और चार्ज भी अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

- समन की तामीली के तीस दिनों के भीतर कारण बताए कि मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।
- मूल आवेदन के क्रम संख्या 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें।
- संपत्तियों की कुकी के आवेदन पर सुनवाई और निपटान लंबित रहने तक, आपको सुरक्षित परिसंपत्तियों (Secured Assets) या मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत प्रकट की गई ऐसी अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों के लेनदेन या निपटान से प्रतिबंधित किया जाता है।
- आप न्यायधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना, उन संपत्तियों को जिन पर सुरक्षा हित (Secured Interest) बनाया गया है और/या मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा तरीके से (सामान्य व्यावसायिक कार्यों के अलावा) हस्तांतरित नहीं करेंगे।
- आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित परिसंपत्तियों या अन्य संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि का हिस्सा देने और ऐसी बिक्री राशि को उस बैंक या वित्तीय संस्थान के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके पास ऐसी संपत्तियों पर सुरक्षा हित है।

आपको लिखित विवरण (Written Statement) दायित्व करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसकी एक प्रति आवेदक को दी जाए और आप 13.05.2026 को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, विफल रहने पर आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज 06.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायधिकरण

कार्यालय सेनानी, प्रथम वाहिनी वि.स. बल इन्दौर (म. प्र.)
फैक्स नं. - 0731-2422866, टेलीफोन नं. - 0731-2422422

क्रमांक/प्र.बटा./ सा.अ./ P-503 /2026 दिनांक 05/03/2026

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

प्रथम वाहिनी विसवल, इन्दौर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत लघुनिर्माण मद में प्राप्त आवंटन एवं प्रशासकीय स्वीकृति के पालन में प्रथम वाहिनी में ट्रेनिंग कंपनी के लिए शौचालय / बाथरूम निर्माण का कार्य करवाया जाना है। जिसके लिए आवश्यक जानकारी एवं टेंडर फार्म, इच्छुक निविदाकारों के लिये निविदा शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) 8443- सफिल जमा-0055- पुलिस -800- अन्य जमा में अथोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में आनलाईन जमा कर वित्तापन जारी होने के दिनांक से 19.03.2026 समग्र 1400 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	धरोहर राशि (EMD)	टेकेंडर की श्रेणी	सम्पूर्ण कार्य की अवधि	कार्यालय
1	ट्रेनिंग कंपनी के लिए शौचालय / बाथरूम - 05 नगर्निर्माण कार्य (पुलिस हस्तक्षेप का परिपत्रन के प्राक्कलन अनुसार)	4,99,541/-	15000/-	सी/ नॉन	08 दिवस	सेनानी, प्रथम वाहिनी विसवल, इन्दौर

- निविदा की विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश पुलिस की वेबसाइट www.mppolice.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- आनलाईन ई-निविदा केवल वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर तकनीकी एवं व्यावसायिक निविदा पृथक-पृथक जमा की जा सकेगी।
- आनलाईन निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 19.03.2026 समग्र 1500 बजे तक है।
- तकनीकी निविदा खोलने का दिनांक 20.03.2026 समग्र 1600 बजे प्रथम वाहिनी विसवल, इन्दौर कार्यालय परिसर में खोली जावेगी।
- प्रथम तकनीकी निविदा खोली जाएगी दस्तावेज परीक्षण उपरत सही पाये जाने पर तकनीकी निविदा में योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

सेनानी
प्रथम वाहिनी विसवल, इन्दौर

G27000/25

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड, बैंगलूर - 562002
अंचल कार्यालय: प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के समीप, साकेत नगर, अंचल कार्यालय, भोपाल
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर, फोन: 7049919126

ई-नीलामी सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑनलाइन) के विक्रय की सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 एवं सेक्यूरिटी इंस्ट्रूट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अन्तर्गत

यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं सेक्यूरिटी इंस्ट्रूट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत ले लिया है, सेवाप्रदाता पीएसबी एल्यॉयंस प्रा. लि. के द्वारा संचालित ई-नीलामी निम्न शर्तों एवं नियम के आधार पर संपत्ति का विक्रय वेबसाइट <https://banknet.com/> द्वारा की जायेगी।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाइल नं.	ऋणी/सह ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्तियों का विवरण	क्षेत्रफल	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) घरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	खजराना चौराहा शाखा, इन्दौर 94256 00282	मेसर्स राज इम्पेक्स, प्रो. श्री सुनील हरिराज गुरु, श्री सुनील हरिराज गुरु, श्री नंद किशोर तंवर पिता रतनलाल तंवर, मेसर्स रेणुका एक्वोर्ट्स, प्रो. मोनिका तंवर एवं श्रीमती मोनिका तंवर पिता नंद किशोर तंवर	मकान नं. 123/1, पिपलियाराव, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.), मालिक श्री नंद किशोर तंवर पिता रतनलाल तंवर, सीमाएं: उत्तर: गली, दक्षिण: गली, पूर्व: बंशीलालजी तंवर का मकान, पश्चिम: माधव सिंह तंवर का मकान	720 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	31,93,198.93 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.09.2025 से	Rs. 32,20,000 Rs. 3,22,000	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
2.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स कोशल वर्मा कन्स्ट्रक्शन, प्रो.प्राइटर श्री चंद्रशेखर वर्मा, श्री चंद्रशेखर वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा, श्रीमती पुष्पा बाई वर्मा पति श्री जयराज वर्मा	प्लाट नं. 20 का भाग पर स्थित रहवासी मकान, नजुल ब्लॉक नं. 23, रामकृष्णगंज वार्ड नं. 18, डॉ. हसन अली मर्ग, खण्डवा (म.प्र.) 450001, मालिक: श्रीमती पुष्पा बाई वर्मा पति जयराज वर्मा, सीमाएं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: गली, पूर्व: हरलाल वर्मा का मकान, पश्चिम: धम्माली का मकान	598 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	15,95,013.13 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 22.05.2025 से	Rs. 23,25,000 Rs. 2,32,500	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
3.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स वर्मा कॉन्स्ट्रक्टर एण्ड कन्स्ट्रक्शन, प्रो.प्राइटर श्री सेवक राम वर्मा, श्री सेवक राम वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा, श्रीमती लक्ष्मीबाई वर्मा पिता अशोक वर्मा, श्री मनीष कुमार वर्मा पिता प्रकाश चंद वर्मा एवं श्री विकास वर्मा पिता प्रकाश चंद वर्मा	प्लाट नं. 23 का पश्चिमी भाग पर स्थित रहवासी मकान, शीट नं. 23, महाराणा प्रताप वार्ड नं. 12, खण्डवा तरफ कुन्बी, गंज बाजार, ओल्ड घासपुर, खण्डवा (म.प्र.) 450001, मालिक: लक्ष्मीबाई वर्मा पति अशोक वर्मा, सीमाएं: उत्तर: गली, दक्षिण: गली, पूर्व: भूमि का शेष भाग, पश्चिम: ताहिर भाई का मकान	550 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	17,72,187.24 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 24.05.2025 से	Rs. 14,50,000 Rs. 1,45,000	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
4.	खण्डवा शाखा 85950 58017	मेसर्स बालाजी सोहैली भंडार, प्रो.प्राइटर श्री रोहित वर्मा एवं श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा	लेआउट प्लाट नं. 117, प्लाट नं. 13 पर स्थित रहवासी मकान, विनायक एवेन्यु कॉलोनी, सुभाष चंद्र बोस वार्ड नं. 49, डाक्टरेट शीट नं. 01, पटवारी हल्का नं. 95, मालिपुरा, खण्डवा (म.प्र.) 450001, मालिक: श्री रोहित वर्मा पिता सुरेश चंद वर्मा, सीमाएं: उत्तर: कॉलोनी की सड़क, दक्षिण: कॉलोनी का प्लाट नं. 118, पूर्व: कॉलोनी की सड़क, पश्चिम: गार्डन के बाद रास्ता	613.76 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	18,35,648.39 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 22.05.2025 से	Rs. 12,38,000 Rs. 1,23,800	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
5.	एम.जी. रोड शाखा इन्दौर 70499 19105	पूजा पटवा पति सतीश पटवा, सतीश पटवा (सह-ऋणी)	फ्लैट नं. 401-402, चौथी मंजिल, हरिदर्शन अपार्टमेंट, प्लाट नं. 1, श्रीराम कमल रसीडेन्सी, ग्राम नोनोद, इन्दौर (म.प्र.) 452001, मालिक: पूजा पटवा पति सतीश पटवा, चर्चु:सीमा: उत्तर: गोडाउन नं. 08, दक्षिण: फ्लैट नं. 403, पूर्व: खुला पेसेज, पश्चिम: खुला डबट	753.47 वर्गफीट	भौतिक कब्जा	फ्लैट	7,80,719.72 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.04.2021 से	Rs. 6,12,000 Rs. 61,200	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)
6.	बुरहानपुर शाखा 94253 26221	मेसर्स संजय डेवर्स, प्रो.ः जगदीश चंद्र सोलंकी एवं जगदीश चंद्र सोलंकी पिता नवनर्मित सोलंकी	प्लाट नं. 40/2, वार्ड नं. 03, ब्लॉक नं. 54 पर स्थित गोडाउन, विशखपुरा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म.प्र.) 450331, मालिक: जगदीश चंद्र सोलंकी, चर्चु:सीमा: उत्तर: गोडाउन नं. 08, दक्षिण: गोडाउन नं. 10, पूर्व: कॉमन पेसेज, पश्चिम: पीडब्ल्यूडी की संपत्ति	275 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	गोडाउन	6,86,313.24 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 02.05.2024 से	Rs. 3,46,000 Rs. 34,600	26.03.2026 दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)

नियम एवं शर्तें: संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंस्ट्रूट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तों के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित "जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर होगा। बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। (2) नीलामी/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्य से वेबसाइट <https://banknet.com/> के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर दिनांक 25.03.2026 को प्रातः 10.30 से सायं 5 बजे के बीच कर सकते हैं। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नहीं होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बढ़ा सकते हैं। (5) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा के पक्ष में दिनांक 25.03.2026 तक या इसके पूर्व सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास अपना बैंक डिजिटलॉकर एवं ई-मेल पता होना चाहिए। (7) ईएमडी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दिनांक 25.03.2026 के पूर्व सायं 05.00 बजे तक केनरा बैंक, संबंधित शाखा में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (8) ईएमडी की राशि यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसिद यूटीआर नं. सहित। (9) ईएमडी राशि संपत्ति के विक्रय की पुष्टि के दो दिन पश्चात वापस कर दी जावेगी। (10) ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (11) नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी जैसा की उपर वर्णित है। बोलीदाताओं को 50.00 लाख तक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 10,000 रुपये के गुणक में तथा 50.00 लाख से अधिक आरक्षित मूल्य वाली संपत्तियों के लिए 25,000 रुपये के गुणक में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जावेगी। (12) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की पुष्टि के तुरंत बाद उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी की राशि सहित जो पूर्व में जमा की गई है) जमा करनी होगी एवं शेष राशि सुरक्षित देनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता उपर वर्णित समयवाधि में राशि चुकाने में असफल होता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में बिना कोई सूचना दिए उसकी जमा राशि जप्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पुनः विक्रय किया जावेगा। (13) सफल बोलीकर्ता द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन में होने वाले सभी खर्च, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प ड्यूटी, टेक्स, सरकारी बकाया इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (14) प्राधिकृत अधिकारी के पास बोली को स्थगित करने, आगे बढ़ाने या नियम व शर्तों को बिना पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार सुरक्षित है। (15) विस्तृत जानकारी के लिए केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 7049919126 पर संपर्क करें। विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलीदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विकलता (इंटरनेट विकलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु बैक-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 10.03.2026

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक